चीन जनवादी गणराज्य की सरकार तथा भारत गणराज्य की सरकार के बीच सीमावर्ती व्यापार पुन: आरंभ करने के संबंध में समझौता ज्ञापन

चीन जनवादी गणराज्य की सरकार तथा भारत गणराज्य की सरकार, भारत तथा चीन के बीच व्यापार संबंधों को बढ़ाने की इच्छा व्यक्त करते हुए और मैत्रीपूर्ण परामर्श करके, समानता एवं पारस्परिक हित के आधार पर सीमावर्ती व्यापार पुन: आरम्भ करने के लिए सहमत हुई है तथा निम्नलिखित समझौता हुआ है :

1. इस ज्ञापन के निर्दिष्ट सीमावर्ती व्यापार में स्थल मार्ग से व्यापार तथा उन सीमावर्ती क्षेत्रों के निवासियों द्वारा वस्तुओं का विनिमय भी शामिल है, जो कि चीन के तिब्बत स्वशासी क्षेत्र एवं भारत के उत्तर प्रदेश राज्य तथा ऐसे अन्य क्षेत्रों के अन्तर्गत आते हों, जिनके बारे में समय-समय पर परस्पर सहमति हो ।

2. दोनों देशों के सीमावर्ती क्षेत्रों में परस्पर सम्मत वस्तुओं का व्यापार तथा विनिमय दोनों में से प्रत्येक देश में प्रवृत्त विधियों, विनियमों तथा नियमों के अनुसार किया जाएगा ।

3. चीन जनवादी गणराज्य की सरकार तथा भारत गणराज्य की सरकार फिलहाल निम्नलिखित स्थानों पर सीमावर्ती व्यापार बाजार स्थापित करने के लिए सहमत है :

क. चोन में तिब्बत स्वशासी क्षेत्र में पुलन ;

ख. भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के पिथौरागढ़ जिले में गुंजी ;

दोनों देशों के बीच सीमावर्ती व्यापार कार्यकलाप उपर्युक्त सीमावर्ती व्यापार बाजारों में प्रत्येक वर्ष परस्पर सम्मत अवधियों के दौरान किए जाएंगे ।

4. सीमावर्ती व्यापार में लगे व्यक्तियों का आना-जाना और वस्तुओं एवं परिवहन-साधनों के आदान-प्रदान को सुकर बनाने के उद्देश्य से चीन जनवादी गणराज्य की सरकार और भारत गणराज्य की सरकार ने ऐसा निर्णय लिया है कि दोनों देशों से उक्त व्यक्तियों, वस्तुओं और परिवहन साधनों के प्रवेश और बहिर्गमन के वास्ते क्यांगला {लिपुलेख} ही सीमावर्ती दर्रा रहेगा । एक दूसरे के क्षेत्र में प्रवेश करने पर उक्त व्यक्तियों, वस्तुओं और परिवहन साधनों के प्रवेश तथा बहिर्गमन के प्रयोजन हेतु उनके पास वैध कागजात अवश्य हों, जो दोनों देशों के संबंधित प्राधिकारियों के पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण के अध्यधीन रहेंगे ।

5. सीमावर्ती व्यापार का भुगतान दोनों पक्षों को मान्य मुक्त रूप से परिवर्तनीय मुद्राओं में अथवा वस्तुविनिमय के जरिए किया जाएगा । सीमावर्ती व्यापार के भुगतान के तरीके का निर्णय क्रेताओं और विक्रेताओं द्वारा किया जाएगा । यदि आवश्यक हुआ तो सीमावर्ती व्यापार के संबंध में किसी बैंकिंग प्रबंध पर बातचीत की जाएगी और उस पर दोनों सरकारों द्वारा नामित बैंक हस्ताक्षर करेंगे ।

6. इस समझौते का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से क्रमशः चीन जनवादी गणराज्य की सरकार और भारत गणराज्य की सरकार सीमावर्ती व्यापार क्रिया-कलापों से उत्पन्न मुद्दों, यदि कोई हों, के समन्वय और समाधान के लिए संबंधित सीमा प्राधिकारियों को नामित कर सकेंगी ।

7. यह समझौता हस्ताक्षर होते ही प्रवृत्त हो जाएगा और दो वर्षों की अवधि के लिए प्रभावी रहेगा । तत्पश्चात् इसको

अवधि एक-एक वर्ष के लिए तब तक स्वत: ही बढ़ायी जाती रहेगी जब तक कि उसकी समाप्ति की तारीख से कम से कम तीन महीने पहले किसी भी पक्षकार द्वारा इसकी अवधि समाप्त करने के लिए लिखित नोटिस नहीं दिया जाए ।

नई दिल्ली में दिनांक 13 दिसम्बर, 1991 को चीनी, हिन्दी तथा अंग्रेजी भाषाओं में दो मूल प्रतियों में सम्पन्न हुआ । तीनों मूल पाठ समान रूप से प्रमाणिक रहेंगे, किन्तु निर्वचन में कोई मतभेद हो जाने की स्थिति में अंग्रेजी पाठ अभिभावी रहेगा ।

李岚清

कृते चीन जनवादी गणराज्य
की सरकार

कृते भारत गणराज्य
की सरकार